संख्या-63/2016/909/41-2016-28 यो0/14

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 08 जून, 2016

विषय-राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में स्थित 03 पर्यटन स्थलों/घाटों के निर्माण की योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-246/6-1-1(464)/2015, दिनांक 24-05-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में स्थित 03 पर्यटन स्थलों/घाटों के निर्माण की योजना हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त यथा-सोहराब अली घाट के निर्माण की योजना हेतु रू0 278.93 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख, सोझवा घाट के निर्माण हेतु धनराशि रू0 294.08 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख तथा पंचमुखी हनुमान घाट के निर्माण हेतु धनराशि रू0 295.98 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख की प्रथम किश्त के रूप में प्रत्येक घाट के निर्माण हेतु रू0 100.00 लाख अर्थात कुल रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 70/1495/41-2014-28 यो0/14, दिनांक 07.11.2014 द्वारा तथा धनराशि रू0 178.93 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख, सोझवा घाट के निर्माण हेतु धनराशि रू0 194.08 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख तथा पंचमुखी हनुमान घाट के निर्माण हेतु धनराशि रू0 195.98 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख की द्वितीय किश्त के रूप में प्रत्येक घाट के निर्माण हेतु रू0 100.00 लाख अर्थात कुल रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 91/2015/1070/41-2015-28 यो0/14, दिनांक 14.05.2015 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में स्थित 03 पर्यटन स्थलों/घाटों **1-** सोहराब अली घाट के निर्माण की योजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 78.93 लाख, **2-** सोझवा घाट के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 94.08 लाख तथा **3-** पंचमुखी हनुमान घाट के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 95.98 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर्यटन निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो तथा प्रश्नगत योजना के कार्य के रख-रखाव पर आने वाला व्यय-भार राजकोष पर न पड़े।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-63/2016/909(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।

2- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

3- जिलाधिकारी, गाजीपुर।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

6- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।

7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4

8 संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।

9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

http://shasenadesh.up.nic.in

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in